

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 398 / 2010 / जयपुर

मैसर्स रानसर इण्ड.लि.,
सी-25, रोड़ नं. 1,
बाईस गोदाम, जयपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन-I, राज.,
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 21/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/एल/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-I, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2006 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2003-04 के तहत संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसके द्वारा अपीलार्थी ने पूर्व में पारित आदेश में संशोधन चाहा गया था, को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाकर पूर्व पारित आदेश में सृजित राशि रूपये 36,320/- को यथावत रखा गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2005 को पारित किया जाकर टर्न ओवर टैक्स के एवज में वार्षिक प्रशमन शुल्क रूपये 90,000/- निर्धारित किया गया। पारित आदेश में सकल पण्यवृत राशि रूपये 20.27 करोड़ है जिस पर पण्यवृत कर देयता रूपये 90,000/- की है। व्यवहारी ने दिनांक 15.10.2005 को संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं उल्लेख किया कि उक्त पारित आदेश में निर्धारण व्यापारावर्त कर के निर्धारण राशि में अधिसूचना क्रमांक F-4(30)/FD/Tax-Div/2002-167 dated 22-03-2002 के क्लॉज 8 के अधीन वर्ष 2003-04 के लिए पूर्ववृत्ती वर्ष के मुक्ति शुल्क राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए राशि जमा करा कर विकल्प का प्रयोग किया है। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 क्रमांक F-4(30)/FD/Tax-Div/99pt-59 dated 28-06-2003 के द्वारा समाप्त किया गया है। आगे उल्लेख किया कि कम्पनी के द्वारा दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना जारी किये जाने से पूर्व ही विकल्प फीस जमा करा दी गई थी। अतः आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को संशोधन करने की मांग थी। व्यवहारी के संशोधन

लगातार.....2

प्रार्थना पत्र के क्रम में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया गया एवं सुनवाई दिनांक 18.11.2005 नियत की गई। व्यवहारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में अपना उत्तर प्रस्तुत किया एवं उल्लेख किया कि कम्पनी को धारा 37 में प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अलावा कुछ भी नहीं कहना है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र का अध्ययन एवं मनन किया गया। लेखा अवधि दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2004 तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2003-04 में व्यवहारी धारा 13ए के अधीन पूर्णवृत्त कर हेतु दायी है। उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक F-4(30)/FD/Tax-Div/99pt-59 dated 28-06-2003 के अधीन धारा 13ए के अधीन दायित्वाधीन पूर्णवृत्त कर से मुक्ति शुल्क भुगतान पर कर से मुक्ति प्रदान की गई। अधिसूचना में अंकित सारणी के अनुसार क्रम संख्या 8 में सुसंगत वर्ष का वार्षिक सकल पूर्णवृत्त रूपये 15 करोड़ से रूपये 25 करोड़ तक के लिए वार्षिक मुक्ति शुल्क रूपये 90,000/- विहित किया गया है। दिनांक 22.03.2002 की उपरोक्त अंकित अधिसूचना को दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना द्वारा अधिष्ठित किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना प्रचलन में नहीं होने के कारण उसका लागू होना विधि के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना ही लागू होती है तथा उसके अनुरूप ही मुक्ति शुल्क राशि की गणना पूर्णतया विधि सम्मत है एवं मुक्ति शुल्क राशि पूर्ण रूप से विधिक है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र में उठाये गये इस बिन्दू को कि उसकी मुक्ति शुल्क देयता दिनांक 22.03.2002 के अनुसार है के तर्क को अविधिक होने के कारण खारिज किया गया। उपरोक्त विवरणानुसार व्यवहारी का संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किया गया। इस क्रम में रूपये 5,720/- ब्याज की राशि आरोपित की गयी। इस आदेश में संशोधन किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 27.09.2005 को आदेश पारित किया गया था इस आदेश में संशोधन चाहने हेतु अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखे बिना ही, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है जो कि पूर्ण रूप से अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2002 की क्लॉज संख्या 8 के क्रम में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2002-03 में जमा कराये गये विकल्प प्रार्थना पत्र के साथ कर मुक्त फीस में 10 प्रतिशत की राशि जोड़कर वर्ष 2003-04 के लिए अप्रैल, 2003 में प्रथम किश्त जमा करवायी गयी थी जिसका स्पष्ट तात्पर्य था कि फर्म के द्वारा दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना के अन्तर्गत टर्न ओवर टैक्स जमा कराये जाने हेतु विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उसी के तहत राशि जमा करायी गयी है। अतः अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के अनुसार वार्षिक कर मुक्ति शुल्क आरोपित किये जाने हेतु कानून इजाजत नहीं देता। दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी न होकर

अर्थात् अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी है। दोनों ही अधिसूचना राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी की गयी है जिसमें दिनांक 28.06.2003 को जारी अधिसूचना द्वारा दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना को अधिष्ठित करते हुए समाप्त किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही अविधिक अनुचित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अन्तर्गत टर्नओवर टैक्स से कर मुक्ति शुल्क जमा कराये जाने के प्रार्थना पत्र जो कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज संख्या 14 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा वह प्रार्थनापत्र अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2003 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा एक अन्य अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 जारी की गयी है। दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा स्वयं को इस अधिसूचना से कवर्ड मानते हुए टर्न ओवर टैक्स से छूट बाबत विकल्प प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2003 को प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली के पेज संख्या 13 पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी के प्रकरण में एक ही अधिसूचना लागू होगी और वह राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी/99-पार्ट-59 दिनांक 28.06.2003 लागू होगी क्योंकि दिनांक 28.06.2003 को जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 को अधिष्ठित कर दिया गया है इसका तात्पर्य यह हुआ कि अधिसूचना दिनांक 27.06.2003 तक प्रभावशील रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 का अध्ययन किया गया। इस अधिसूचना की शर्त संख्या 5 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :- "In case a dealer has deposited exemption fee for the year 2003-04 by increasing the exemption fee of the immediately preceding year by ten percent, the same shall be adjusted against the exemption fee payable under condition 4."

5. अतः अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के द्वारा पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 को अधिष्ठित कर वर्ष 2003-04 की सम्पूर्ण अवधि के लिए कम्पोजीशन राशि निर्धारित की गयी। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2003 के द्वारा इस कम्पोजीशन स्कीम को अपनाया (opt) गया अतः अब व्यवहारी द्वारा इस योजना में निर्धारित कम्पोजीशन शुल्क को जमा करवाने से इंकार करने या इसमें कमी करने का कोई आधार नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसे यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य